कार्यसूची सं.	**1**
बैठक का दिनांक	**09.11.15**
बैठक सं.	**53**

दिनांक **12** अगस्त **, 2015** को आयोजित **5**2वीं एस एल बी सी बैठक एवं PMMY से संवंधित SPECIAL SLBC बैठकों के कार्यवृत्तों की पुष्टि

- दिनांक 12 अगस्त **, 2015** को आयोजित **5**2 वीं एस एल बी सी बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किया |
- दिनांक 14.09.15 को "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" का लोकार्पण एवं उससे संवंधित मेगा ऋण शिविर का सफल कार्यान्वयन हेतु एक " SPECIAL SLBC बैठक का आयोजन किया गया था एवं इस बैठक का कार्यवृत्त सभी संवंधित कार्यालय को संप्रेषित किया गया |
- सभा के द्वारा उपर्युक्त दो बैठकों कि कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

कार्यसूची सं.	**2**
बैठक का दिनांक	**09.11.15**
बैठक सं.	**53**

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	बर्तमान स्थिति
3.1.1	**22.03.2002**	<u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन**(Updation)** और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u> राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि, **1.** किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की **R.B.I** के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके| **2.** राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, **MSE,**शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।	(a) 13 जिलों मे भूमि अभिलेख का डिजिटिकरण(अद्यतन के बिना) का कार्य JSAC द्वारा शुरू हो चुका है। शेष जिलों में कंप्यूटरीकरण का कार्य जिला स्तर पर शुरू किया गया। (b) भूमि के अभिलेख का ऑन लाईन म्यूटेशन का कार्य 6 जिला रांची, हजारीबाग,लोहरदगा,दुमका,रामगड एवं बोकारो के 35 सर्कल में शुरू किया गया जा चुका है । (c) SC/ST/OBC आवेदकों की भूमि बंधक रखकर शिक्षा,गृह एवं व्यावसायिक ऋण उपलब्ध करने हेतु CNT Act की धारा-46 एवं SPT Act की धारा-20 में संशोधन हेतु TAC की उप-समिति की अनुशंसा अप्राप्त होने की कारण प्रक्रिया विचाराधीन है |
3.1.2.	**22.03.2005**	<u>**पी डी आर अधिनियम में संशोधन**</u> **- राज्य सरकार के द्वारा , एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने की प्रस्ताव थी , जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा अपफ्रॉन्ट कोर्ट फीस के भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान**	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है)।जो प्रस्ताव से भिन्न है| **<u>कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भी कार्रवाई नही हो रही थी। प्रधान सचिव ,</u>**

		करने के संशोधित प्राबधान लागु करने की प्रस्ताव थी|	**<u>योजना एवं वित्त , विभाग ,झारखण्ड सरकार के द्वारा ,सभी जिला के उपायुक्तों को उपर्युक्त गजट अधिसूचना का अनुपालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिया जा चूका है |</u>**
3.1.4.	**20.03.2009**	**" बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम " जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन** **46 वें बैठक में तय समय सीमा - 01 माह बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है।**	RBI की तकनीकी ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, का गठन का परामर्श दिया है| उक्त परामर्श के आलोक में कार्यवाही, झारखण्ड सरकार द्वारा विचाराधीन है |
3.1.5.	**29.09.2010**	**राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना |**	Dedicated Certificate Officer के रूप में अवकाश प्राप्त अधिकारीयों की नियुक्ति हेतु "लोक मांग वसूली अधिनियम विधेयक" में उपयुक्त सशोधन हेतु मंत्रीपरिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है, विधानसभा की अगले सत्र में इसे उपस्थापित की जाएगी|
3.1.6.	**19.02.2002**	राज्य में बैंक के खजाने का रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था **46वें बैठक में तय की गई समय सीमा - 02 माह**	राज्य सरकार के महानिरीक्षक - परिचालन ने दिनांक 3.06.2014 को एस आई एस एफ की तैनाती हेतु मॉडलिटिज पर वस्तृत चर्चा के लिए बैठक बुलाया । बैठक में प्रत्यासित तैनाती हेतु जवानों की संख्या के अनुसार मासिक प्रभार की सूचना बैंकों को दे दी गई है। इसकी सूचान आर बी आई के इश्यू विभाग को भी दिया गया है। बैंकर्स ने दिनांक 28.07.2014 को आयोजित बैठक में मुद्रा - तिजोरी में एस आई एस एफ के लिए लागू प्रभार हेतु अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। इस संबंध में पत्र महानिरीक्षक - परिचालन को दिया गया है। महानिरीक्षक - परिचालन ने उपरोक्त कार्य में नियुक्त एस आई एस एफ के कर्मचारियों को आवास,आतिथ्य,चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, परेड मैदान आदि सुविधा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया । इन शर्तों को लागु कर पाना बैंकों के लिए कठिन और महंगा है, अत: इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के इश्यू विभाग को

			संदर्भित कर दिया गया है।
3.1.7.	**01.12.2008**	**आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन** .	➢ **भूमि आवंटित नही किया गया - पाकुर** ➢ **आवंटित भूमि पर गांव वालों द्वारा बिरोध किया गया - गोड्डा,सिंहभूम (प)** **(आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन का विवरण एवं भवन निर्माण का विवरण संलग्न है।)**
3.1.8	**9.05.13**	**नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।**	योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तर की समिति गठित की गई है । समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नही देता है। ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है।
3.1.9	**27.05.14**	रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय,, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।	**झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित किया गया |** **झारखंड सरकार के द्वारा , उपायुक्त , रांची को,SLBC व BOI की संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने की आदेश पारित किया गया |**

<u>बैंक से संबधित मामले **Issues Pertaining To Banks**</u>

क्रं.स.	**से लंबित**	**मामले**	**बर्तमान स्थिति**
3.1.11	**2013**	**आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया है।** **संलग्नक सं. 12 (डी) में लम्बित विवरणी संलग्न है।**	बोकारो,गिरिडीह,कोडरमा,देवघर,सिमडेगा ,लोहरदगा,गुमला और सिंहभूम (पूर्व) धनबाद,खूंटी,चतरा में भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है| गड़वा, गिरिडीह में जमीन पर Boundary Wall का कार्य पूरा हो गया है |
	मई 2015	**RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES का बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना |**	बैंकों के द्वारा कुल 1698 कैंडिडेट्स को ऋण उपलब्ध करवाया गया |

कार्यसूची सं.	**3**
बैठक दिनांक	**09.11.15**
बैठक सं.	**53**

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक (KEY INDICATORS)

30 सितम्बर,**2015** को मुख्य कारोबार पैरामीटर्स के तहत समग्र स्थिति**:**

(Rs. in crore)

क्र.स.	विषय	30.09.2014	31.03.2015	30.09.2015	बेंच मार्क
1	**जमाएं**	128163.93	139956.08	146956.73	
2	**क्रेडिट**	61540.98	65842.38	68449.93	
3	**उपयोग के स्थान * & आरआईडीएफ** के अनुसार क्रेडिट**	11238.65	20244.39	20773.20	
4	**कुल क्रेडिट**	72779.63	86086.77	89223.13	
5	**सी डी अनुपात** (%)	56.78	61.51	60.71	60
6	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम**	31047.89	33736.07	34853.71	
7	**कुल अग्रिम में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पी एस ए) का हिस्सा** (%)	50.45	51.23	50.91	40
8	**कृषि अग्रिम**	10848.88	11745.67	12198.61	
9	**कुल अग्रिम में कृषि ऋण (पी एस ए) का हिस्सा** (%)	17.62	17.83	17.82	18
10	i. **सुक्ष्म एवं लघु उद्यम के क्षेत्र का अग्रिम**	11665.60	13120.50	13476.32	
	ii.**कुल अग्रिम में सुक्ष्म एवं लघु उद्योग का हिस्सा** (%)	18.95%	19.92%	19.68	
11	**एम एस ई में माईक्रो इन्टरप्राईज का हिस्सा**	49.02%	51.22%	52.87%	
12	**कमजोर वर्ग को अग्रिम**	10305.35	11361.01	13644.32	
13	**कुल अग्रिम में कमजोर वर्ग को प्रदत्त अग्रिम** (%)	16.75	17.25%	19.93%	10
14	**डी आर आई अग्रिम**	27.88	29.55	34.23	
15	**कुल अग्रिम में डी आर आई अग्रिम का हिस्सा** (%)	0.04	0.04%	0.05%	1
16	**महिला को प्रदत्त अग्रिम**	11834.09	13200.38	13958.90	

17	**कुल अग्रिम में महिला को प्रदत्त अग्रिम का हिस्सा (एन एन बी सी)**(ANBC) (%)	19.23	20.05	20.39	5
18	**अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अग्रिम (राशि)**	4446.21	4869.83	6184.68	
19	**पी एस सी के तहत्त अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अग्रिम का हिस्सा** (%)	14.32	14.43%	17.74%	15
20	**एन पी ए**	3639.41	3680.70	4253.88	
	सकल ऋण का प्रतिशत	5.91	5.59	6.21	
21	**शाखा नेटवर्क (सं.)** - **ग्रामीण**	1373	1429	1449	
	अर्द्धशहरी	691	720	724	
	शहरी	633	650	673	
	कुल	2697	2799	2846	
22	**झारखंड में स्थापित एटीएम**	2485	2608	2665	

***परिशिष्ट** - 1,** **संलग्नक सं.** -.1 **परिशिष्ट** - 4 **के अनुसार**, **परिशिष्ट** - 2 ,**परिशिष्ट** -I, **परिशिष्ट** –9

बैंकों के द्वारा दिया जा रहा आनुसांगिक सेवाएँ ,			
1	**आरसेटी एवं रूडसेटी**	**आरसेटी**	24
		रूडसेटी	1
2.	**वित्तीय साक्षरता शिविर**	**कमर्शिअल बैंक**	2975
		ग्रामीण बैंक	629
3.	**PMJDY के अंतर्गत SSA में बैंकिंग सेवा का प्राबधान**	**बैंकिंग सेवा से आच्छादित** SSA	4166
		माइक्रो ऐ.टी.एम्	3155

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमाओं में **रूपये.18792.80** करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई । 30 सितम्बर,2015 तक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 14.66 प्रतिशत दर्ज की गई है|

ऋण वृद्धि

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में **रूपये** 16443.50 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई । 30 सितम्बर, 2015 तक वर्ष-दर वर्ष वृद्धि 22.59 प्रतिशत दर्ज की गई है ।

क्रेडिट - जमा अनुपात (C.D Ratio)

बैंकों का सीडी अनुपात 56.78 % से , पिछले एक साल मे बढ़ कर, 60.71 % हुआ है|

(**30 सितम्बर,2014 से 30 सितम्बर,2015 तक**).

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **30 सितम्बर, 2015** को रू. 3805.82 करोड़ (12.25 प्रतिशत) का वृद्धि दर्ज किया गया है।समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 50.91 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

कृषि अग्रिमAgriculture Credit

30 सितम्बर,2015 को कृषि अग्रिम रू. 12198.61 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 17.82 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कुल रू. 1349.73 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.44 प्रतिशत की वृद्धि है।

कमजोर वर्ग Weaker Section

झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 13644.32 करोड़ (19.93 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।

महिलाओं को ऋण Advance to Women

30 सितम्बर,2015 तक महिलाओं को रूपये 13958.90 **करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें वर्ष -दर- वर्ष आधार पर रूपये** 2124.81 **करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है|जो की लगभग 17.95 % वृद्धि है |**

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण Advance to Minority Community

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 4446.21 करोड़ से, पिछले एक साल मे बढ़ कर रूपये 6184.68 करोड़ रूपये हो गया है । इसमें वर्ष -दर -वर्ष आधार पर 39.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 17.74 % है , जो मानक 15 प्रतिशत से ज्यादा है |

30 सितम्बर,2015 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15 **, दिनांक** 1.07.14 **के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर (एस एल बी सी) उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।**

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण -जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs **in crore)**

विवरण		**30 सितम्बर ,2014**	**30 सितम्बर ,2015**	
जमा		**128163.93**	**146956.73**	
कोर अग्रिम	**61540.98**		**68449.93**	
उपयोग के अनुसार	**8440.85**		**17335.90**	
आर आई डी एफ	**2797.80**		**3437.29**	
कुल अग्रिम	**72779.63**		**89223.12**	
ऋण-जमा अनुपात		**56.78**	**60.71**	

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण - जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

कार्यसूची सं.	**4**
बैठक का दिनांक	**09.11.15**
बैठक संख्या	**53**

4.1 वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के तहत्त :
उपलब्धियों की समीक्षा : 30 सितम्बर , 2015 तक

समग्र स्थिति

30 सितम्बर , 2015 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

सेक्टर	**वार्षिक लक्ष्य (2014-15)**	**30.09.14 तक उपलब्धि**		**वार्षिक लक्ष्य (2015-16)**	**30.09.15 तक उपलब्धि**	
	राशि	**राशि**	**%**	**राशि**	**राशि**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
कृषि	**6335.00**	1343.58	21.21	**7078.38**	2146.91	**30.33**
एम एस ई	**5532.95**	1719.38	31.07	**6130.67**	4131.00	**67.38**
ओ पी एस	**2957.73**	914.97	30.88	**3097.87**	1178.11	**38.02**
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का कुल	**14830.68**	3977.93	26.82	**16306.92**	7456.02	**45.72**
गैर प्राथमिकता प्राप्त का कुल	**9689.48**	2898.75	29.91	**10616.76**	6990.28	**65.84**
कुल	**24520.16**	**6876.68**	**28.04**	**26923.68**	**14446.30**	**53.65**

वार्षिक ऋण योजना के तहत्त 30 सितम्बर ,2015 तक बैंकवार/जिलावार और सेक्टर वार लक्ष्य एवं उपलब्धि, परिशिष्ट 6 में दिया गया है।

तिसरी तिमाही तक ACP 2014-15 & ACP 2015-16 मे किया गया संवितरण का तुलनात्मक विवरण

सेक्टर	वित्तीय वर्ष 2014-15 के जून तक किया गया संवितरण	वित्तीय वर्ष 2015-16 के जून तक किया गया संवितरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 के जून तिमाही तक किये गये संवितरण में तुलनात्मक वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि % INCREASE
1	2	3	**4**	**5**
कृषि	1343.58	2146.91	**803.33**	**59.79**
एम एस ई	1719.38	4131.00	**2411.62**	**140.26**
ओ पी एस	914.97	1178.11	**263.14**	**28.75**
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	3977.93	7456.02	**3478.09**	**87.43**
कुल गैर प्राथमिकता क्षेत्र	2898.75	6990.28	**4091.53**	**141.14**
कुल	**6876.68**	**14446.30**	**7569.62**	**110.07**

टिप्पणियां :

- **वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के तहत, सितम्बर अर्द्धवर्ष तक, 2014-15 की तुलना में, सभी ऋण के संवितरण में काफी बृद्धि हुई है। यह उत्साहवर्धक बिषय है।**
- **कृषि क्षेत्र में,पहली अर्द्धवर्ष में ही, Rs. 2146.91 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण अत्यधिक उत्साहजनक है। यह स्पष्ट है कि कृषि के लिए एसएलबीसी की उप समिति द्वारा अपनाई गए उपाय प्रभावी एवं सार्थक साबित हुआ है एवं इसके सुपरिणाम प्राप्त होने लगे है।**

- झारखंड राज्य के बैंकों को राज्य के बाहर मंजूर क्रेडिट सीमा लेकिन झारखंड के अंदर भीतर उपयोग किया जा रहा हो, को राज्य में स्थित शाखाओं को इयरमार्क करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से संपर्क करना चाहिए

- मौजूदा भूमि अभिलेख की अन-उपलब्धता, भूमि बंधक के कड़े नियम, फसल बीमा का सीमित समय तक की उपलब्धता और वो भी चयनित फसलों के लिए, साथ-साथ सुरक्षा का बर्तमान माहौल एवं वसूली का वातावरण , कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण में बाधक साबित हो रहा है।

कार्यसूची सं.	**5**
बैठक का दिनांक	**09.11.15**
बैठक संख्या	**53**

5. REVIEW OF LENDING ऋण का समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें केसीसी योजना भी शामिल है

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रू. 12198.61 करोड़ है जो सकल ऋण का 17.82 % है। यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 18 प्रतिशत के लगभग बराबर है। हालांकि यह प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। सभी हितधारकों , राज्य सरकार, बैंक, नाबार्ड और अन्य एजेन्सी इस ओर फोकस होने के कारण इस क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे है।

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति STATUS OF KCC IN JHARKHAND

(Amt. In Crores)

बैंको की श्रेणि	Disbursement During 15-16		Outstanding In KCC Accounts AS OF 30.09.15		Out of Total K.C.C at the end of Reporting Quarter (Standard Asset)	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
सार्वजिन क्षेत्र के बैंक	231924	581.22	1268353	3930.78	947662	3000.41
निजी बैंक	4115	31.50	7860	67.93	7668	64.89
कुल	236039	612.72	1276213	3998.71	955330	3065.30
आर आर बी	89324	277.87	329734	943.14	94004	270.48
कॉपरेटिव बैंक	997	1.64	15868	28.39		
कुल ।	326360	892.23	1621815	4970.24	1049334	3335.78

रूपये क्रेडिट कार्ड **RuPay Credit Card**

सभी सामान्य के सी सी खातॉ को दि : 31.03.2013 तक Smart K.C.C खातॉ मे परिवर्तित कर उन खातों मे आबश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ए टी एम एवं पी ओ एस में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त के सी सी धारकों को एक या अन्य कारणों से रूपये कार्ड जारी नही किया गया है। अब तक कुल 491392 रूपये कार्ड जारी किया गया है। (विवरण अनुलग्नक में संलग्न है) सभी के सी सी लाभुकों को रूपये कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

.

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उध्यमों का बित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु उध्यमों का वित्त पोषण (एम एस ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)

(Accounts in Lacs) **(Amt. in crore)**

Sl. No.	Particular			Outstanding position as at the end of	
				SEP'2014	SEP'2015
(1)	(2)			(3)	(4)
1	**Micro Enterprises**		**Accounts**	**2.44**	**2.59**
			Amount	**5718.24**	**7125.11**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	0.40	0.43
			Amount	1377.23	1644.85
	b.	Service Sector	Accounts	2.04	2.16
			Amount	4341.01	5480.26
2	**Small Enterprises**		**Accounts**	**1.05**	**0.91**
			Amount	**5947.36**	**6351.19**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	0.20	0.23
			Amount	2853.80	2795.29
	b.	Service Sector	Accounts	0.84	0.68
			Amount	3093.56	3555.90
3	**Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)**		**Accounts**	**3.48**	**3.50**
			Amount	**11665.60**	**13476.30**
4	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation :60%)	49.01%	**52.87%**
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	18.95%	**19.68%**

Credit Flow to Medium ENTERPRISES (Non Priority Sector):

(**Amounts in Crore)**

Sl. No.	Particular		Outstanding position as at the end of	
			SEP '14	SEP'15
(1)	(2)		(3)	(4)
a.	Manufacturing Sector	Accounts	6634	3102
		Amount	1075.86	1014.57
b.	Service Sector	Accounts	76230	27230
		Amount	485.70	601.60
c.	**Total of Medium Enterprises**	**Accounts**	**82864**	**30332**
		Amount	**1561.56**	**1616.17**

COVERAGE UNDER CGTMSE(Collateral Free Loans Upto RS. 1.00 Crore in MSME)

(A/C in 000,Amt.in Cr.)

MSE up to Rs. 1.00 Crore						Coverage under CGTMSE					
MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL		MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL	
A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	A/C	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
39514	2799.63	220264	6851	259778	9605	10384	958	34949	1600	45333	2558

टिप्पणियां

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों-के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध **सितम्बर ,** 2015, मे 52.87 %है।
- **एम एस एम ई क्षेत्र में ऋण वितरण का राज्य में विशाल स्कोप है क्योंकि यह राज्य औद्योगिक रूप से धनी होने के साथ -साथ यहां सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई कंपनियां संचालित है। यहां खान खनिज एवं कोयला आदि का भारी संपदा है। इनके लिए उचित एन्सियलरी उद्योग को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य में एम एस एम ई के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए।**
- यह पाया गया है कि झारखण्ड में प्रयोग किये जाने वाले वस्तुओं का निर्यात क्रेडिट कोलकाता, मुम्बई आदि जगहों पर अवस्थित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है स्थानीय शाखाओं को भी उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के उद्येश्य से निर्यात क्रेडिट हेतु सशक्त करना चाहिए।
- झारखण्ड राज्य मे, 1 करोड़ के सीमा के अंदर कुल 259778 MSE ऋण खातें हैं,परंतू इनमे से केवल 45333 ऋण खातों में, यानी की सिर्फ 17.45% खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है |

5.2 (ख) "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"

दिनांक 8 अप्रैल,2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कि गई | यह योजना मुख्यत: गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई है | इस योजना को ऋण-राशि के अनुसार निम्नलिखित तिन संवर्गों में विभाजित किया गया है ,

1. "शिशु" - रु. 50,000.00 तक ऋण राशि के लिए |
2. "किशोर" - रु. 5,00,000.00 तक ऋण राशि के लिए |
3. "तरुण" - रु. 10,00,000.00 तक ऋण राशि के लिए |

"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" का झारखण्ड से लोकार्पण एवं इस अवसर पर "मेगा ऋण शिविर" का आयोजन :

वित्तीय सेवा विभाग ,वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, ,यह निर्णय लिया गया कि, माननीय, प्रधानमंत्री द्वारा ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'' की राष्ट्रीय लोकार्पण समारोह झारखण्ड में आयोजित की जाएगी एवं इस आयोजन की दायित्व संयुक्त रूप से झारखण्ड सरकार एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,झारखण्ड को दिया जाएगा | झारखण्ड सरकार एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सभी सदस्य बैंकों के द्वारा यह निर्णय लिया गया की इस समारोह को झारखण्ड के सभी बैंकों के संयुक्त प्रयास से काफी भव्य रूप से एक MILESTONE समारोह के रूप में आयोजित की जाएगी एवं इस समारोह के साथ एक मेगा ऋण शिविर की आयोजन की जाएगी जिसमे मुख्यत: "शिशु" मुद्रा ऋण की संवितरण की जाएगी | श्री रघुवर दास, माननीय मुख्यमंत्री,झारखण्ड के द्वारा इस समारोह का आयोजन, राज्य के सुदूरवर्ती एवं आदिवासी वहुल क्षेत्र संथाल-परगना के दुमका शहर में करने की इच्छा प्रकट की गई | उन्होंने बताया कि झारखण्ड राज्य के संथाल-परगना क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका होने के साथ-साथ इस क्षेत्र का गरीव एवं आदिवासी जनता बहुत पहले से सूदखोरी-एवं-महाजनी की समस्या से ग्रसित है एवं ''मुद्रा'' योजना का राष्ट्रव्यापी लोकार्पण के लिए यह क्षेत्र एक सही एवं प्रासंगिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है | माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह इच्छा प्रकट किया गया कि, इस समारोह के साथ आयोजित होने वाली ''मेगा ऋण शिविर'' में,झारखण्ड राज्य के अंदर 1 लाख लाभुकों को मुद्रा ऋण दिया जाए | |

वित्तीय सेवा विभाग,वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के निर्देश पर दिनांक 14.09.15 को, एक ''विशेष SLBC बैठक'' की आयोजन की गई, इस बैठक में श्री मिहिर कुमार,निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग,वित्त मंत्रालय एवं झारखण्ड सरकार के विकाश सचिव,प्रधान सचिव,योजना एवं वित्त विभाग एवं अन्य कई सचिव इस बैठक |में उपस्थित थें | इस बैठक में लोकार्पण समारोह एवं मेगा ऋण अभियान का सफल संचालन के लिए एक विस्तृत रूप रेखा तैयार किया गया |

दिनांक 2 अक्टूबर,2015 को यह लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया | माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस भव्य समारोह में ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'' को लोकार्पित किया गया,उन्होंने अपनी संभाषण का शुरुआत देश के विकाश में बैंकों की भूमिका की सराहना करते हुए किया, एवं अपने ओजस्वी संभाषण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया | इस लोकार्पण समारोह से संवंधित ''मेगा ऋण अभियान'' में कुल 65,159 व्यक्तिगत मुद्रा लाभुकों को एवं 5200 स्वयं-सहायता समूहों को ऋण दिया गया एवं इन सभी लाभुकों की सूची,खाता-संख्या इत्यादि माननीय मुख्यमंत्री,झारखण्ड के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा गया |

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (8.04.15 से 2.10.15 तक)

शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
लाभुकों की संख्या	राशि (करोड़ में)	लाभुकों की संख्या	राशि (करोड़ में)	लाभुकों की संख्या	राशि (करोड़ में)	लाभुकों की संख्या	राशि (करोड़ में)
153901	201.70	10016	206.63	2021	159.62	165938	567.95

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत्त बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 30.09.14	As on 30.09.15				Total As on 30.09.15	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURESEMENT MADE DURING AFY 2015-16 in ACP 15-16
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Account	62398	59094	139	909	1	60143	(-)2255	8872
Amount (In crore)	2179.05	2182.35	2.91	25.64	0.10	2211	31.95	266.43

- उपरुक्त आंकड़ों का विश्लेषण से यह पत्ता चलता है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण की संवितरण पहले आशानुरूप नहीं थी,परंतू पिछले 6 महीनों में राज्य के बैंकों के द्वारा शिक्षा ऋण के संवितरण में ध्यान दिया जा रहा है एवं फलस्वरूप पिछले अर्द्धवार्ष में 8872 नयी शिक्षा ऋण स्वीकृत की जा चुकी है ,परंतू निजी क्षेत्र के बैंकों के आंकड़ों में अपेक्षित सुधार नजर नही आ रही है,यह एक चिंताजनक विषय है |**निजी क्षेत्र के सभी बेंकों के नियंत्रक प्रमुखों को इस विषय पर विशेष ध्यान देने हेतु सुझाव दिया जा रहा है ।**
- शिक्षा ऋण देश के मानव पूंजी के विकास के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाता है। देश के भविष्य एवं आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- झारखंड से प्रति वर्ष छात्र बड़ी संख्या में देश के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश पा रहे है। राज्य के बैंकों से शिक्षा ऋण की स्वीकृति में और बेहतर भूमिका| निभाने की अपेक्षा है
- इसके अलावा राज्य रोजगार के अवसर प्राप्ति हेतु युवाओं के कौशल विकास के लिए ऋण प्रदान करने का सुविधा प्रदान करता है।.

5 4.आवास ऋण

Performance of Banks under Housing loan Scheme

आवास ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन

(Amt.in Crore करोड़ में राशि)

Particulars पर्टिक्यूलर	30.09.14 तक	30.09.2015 तक				30.09.15 तक कुल	गृह ऋण में वर्ष वार- बडॉतरि	ACP 15-16 के दौरान दिया गया संवितरण
		Public Sector Banks सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	Private Sector Bank sनिजी क्षेत्र के बैंक	RRB आर .आर. बी	Co op. Banks सहकारी क्षेत्र के बैंक			
No. of Account खाता की सं.	63625	58448	5178	533	0	64159	534	13779
Amount राशि(In croreकरोड़ में)	4226.31	4326.04	431.84	28.50	0	4786.38	560.07	767.26

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS)ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतुअ ऋण प्रवाह(

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

30 सितम्बर , 2015 तक स्थिति निम्न है:

(Rs. in Croreकरोड़ में रूपया))

30 सितम्बर , 2014		%	30 सितम्बर , 2015		अल्पसंख्यक का शेयर
पी.एस.सी	अल्पसंख्यक समुदाय		पी.एस.सी	अल्पसंख्यक समुदाय	
31047.89	4446.21	14.32	34853.71	6184.68	17.74%

अल्पसंख्यक समुदायों हेतु अग्रिम **30 सितम्बर , 2015** तक 17.74 % है जो कि 15 % बेंच मार्क से उपर है |

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

30 सितम्बर , 2015 की तुलनात्मक स्थिति को नीचे दिया गया है) :रु .करोड़ में(

30 सितम्बर , 2014		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN महिलों के लिए क्रेडिट का प्रतिशत	30 सितम्बर , 2015		Target of lending to Women (%) महिलाओं के लिए लेंडिंग का लक्ष्य
Gross Credit सकल क्रेडिट	Of which to Women महिलाओं के लिए		Gross Credit सकल क्रेडिट	Of which to Women महिलाओं के लिए	5% of NBC एनबीसी का 5 %
61540.98	11834.09	19.23	68449.93	13958.90	20.39

6.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(

30 सितम्बर , 2015 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(Rs. in Crore करोड़ में रू.)

30 सितम्बर, 2014		30 सितम्बर , 2015		नेट क्रेडिट मे DRI का प्रतिशत
सकल क्रेडिट	जिसमे DRI	सकल क्रेडिट	जिसमे DRI	
61540.98	27.88	68449.93	34.23	0.05 %

SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

30 सितम्बर , 2015 समाप्त तिमाही मे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति को नीचे दिया गया है- :

(करोड़ में रू.)

30 सितम्बर, 2014		कुल ऋण का प्रतिशत	30 सितम्बर , 2015		कुल ऋण का प्रतिशत
कुल ऋण	SC/ST को दिया गया ऋण.		कुल ऋण्	SC/ST को दिया गया ऋण.	
61540.98	9971.06	16.20	68449.93	12789.85	18.68

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

30.09.2015 तक झारखंड राज्य के एलडब्लूई प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति निम्न्वर्नित है,

(रू करोड़ में)

जिलों की संख्या	18
ब्लाकों की संख्या	212
गैर सरकारी संगठन की संख्या	127
नवगठित डब्लू.एस.एच.जी की संख्या	41560
एसएचजी बचत लिंक्ड की संख्या	29921
एसएचजी ऋण लिंक्ड की संख्या	6713

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (30 सितम्बर, 2015 तक)

30 सितम्बर, 2015 ***तक की गई मुख्य प्रगति - संचयी और वार्षिक***

(रू लाख में)

संकेतक Indicators	मार्च,2015 तक की स्थिति	उपलब्धि Achievement (2014-15) in May-June'15	शुरुआत से अब तक संचयी उपलब्धि Cumulative achievement till date since Inception
शामिल प्रखंडों की संख्या	40	6	46
शामिल गावों की संख्या	2312	640	2952
एस आर एल एम समर्थित एस एच जी की कुल संख्या	16945	3694	**20934**
एस आर एल एम समर्थित कुल अनुमानित परिवार	16945	3694	**20934**
एस एच जी की संख्या जिसने आर एफ प्राप्त कर लिया है	11119	4356	15633
संवितरित आर एफ की राशि (लाख रु में)	1666.20	644.55	2340.96
एस एच जी की संख्या जिसने सी आई एफ प्राप्त कर लिया है	7458	4885	12400
सी आई एफ की संवितरित राशि (लाख रु में)	3783.18	3238.46	7021.64
एस एच जी की संख्या जो बैंक से क्रेडिट लिंक्ड है	1808	3265	**5073**
बैंक से क्रेडिट लिवरेज्ड की राशि (लाख रु में)	1014.50	1632.50	2536.50

एजेंडा सं.	**6**
बैठक की तिथि	**09.11.15**
बैठक की संख्या	**53**

6. *प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)*

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. **बी.सी (बैंक मित्रा) द्वारा एसएसए के कवरेज की स्थिति**

एसएसए की कुल संख्या	बी.सी द्वारा एसएसए का कवर (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा एसएसए कवर	अनकवर्ड
4175	3545	621	9

- अनकवर्ड 22 SSA यूको बैंक - 9

C. **पीएमजीडीवाइ के तहत खोले गए बीएसबीडी खातों की स्थिति ।**

30.09.15 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या			PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल		
2943487	1364899	4308386	3203417	2823680

" प्रधानमंत्री मंत्री जन-धन योजना "(PMJDY) में ध्यानकर्षण योग्य बिंदु ,

1. यद्यपि कुल 4175 SSA में से 4166 SSA बैंकिंग सेवा से आच्छादित किया जा चूका है , परन्तु कुछ SSAकी औचक निरिक्षण के दौरान यह पता चल रहा है की , कुछ SSA में पदस्थापित BC/BCA द्वारा समुचित सेवा नहीं दी जा रही है | मिशन डायरेक्टर , PMJDY द्वारा इस बात पर चिंता प्रकट किया गया और दिनांक : 28.07.15 को बुलाया गया एक बैठक में ,जिसमे सभी मुख्य बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थें,यह निर्णय लिया गया कि ,
   i. सभी SSA में पदस्थापित , बैंक-मित्रों का सुचारू संचालन के जिम्मेदारी, आवंटित बैंक की नियंत्रक कार्यालय की होगी|
   ii. नियंत्रक कार्यालय यह सुनिश्चित करेगी की - प्रतिदिन प्रति बैंक मित्रों का औसत लेन-देन की संख्या न्यूनतम 50 हो|
   iii. सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालय,प्रतिमाह सभी बैंक मित्रों का लेन-देन का ब्यौरा, निहित प्रपत्र में ,जो की सभी बैंकों को उपलब्ध करवाया जा चूका है , DBT सेल , झारखंड सरकार को, उपलब्ध करवाएगी |
   iv. सभी बैंक शाखाओं के शाखा प्रवंधक, प्रति माह,अपने शाखा से संवंधित बैंक-मित्रों का निरीक्षण के उपरांत, निहित प्रपत्रों में , नियंत्रक कार्यालय को , निरीक्षण-रिपोर्ट जमा करेंगे |
   v. उपरुक्त निरीक्षण-रिपोर्ट के एक प्रति BLBC को शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा,जिसके आधार पर BLBC बैंक मित्रों के कार्यों का Monitoring करेगी |
   vi. सभी बैंक शाखाओं में, ग्राहंकों को बैंक मित्रों से लेन-देन हेतु प्रेरित करने के लिए एक "सुचना" प्रदर्शित की जाएगी|
2. पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया कुछ खातों में अब तक पास-बुक जारी नहीं किया गया , सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में पास-बुक जारी करना सुनिश्चित करें|
3. यद्यपि पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया खातों में अब तक कुल 3203417 रुपे कार्ड जारी किया गया , परन्तु औचक निरिक्षण के दौरान यह पता चल रहा है की बहुत से रुपे कार्ड अब तक अवितरित है एवं कुछ रुपे कार्ड अब तक Activated नहीं किया जा चूका है | सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में रुपे कार्ड का Activation सुनिश्चित करें , एवं साथ ही बिभिन्न शाखाओं एवं एफ.एल.सी केन्द्रों के द्वारा ग्राहोकों को रूपए कार्ड के ब्यबहार के प्रति जागरूक करें|
4. सभी लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना , पीएमजीडीवाइ योजना के एक मुख्य लख्य है, सभी बैंकों से यह आग्रह है की , R.B.I दिशानिर्देश के अनुसार सभी ग्रामीण शाखाओं में , प्रत्येक सप्ताह, एक वित्तीय साक्षरता शिबिर का आयोजन सुनिश्चित करें |

वित्तीय समावेशन पर महत्वपूर्ण कार्यसूची

1. सभी SSA में पदस्थापित BC/BCA केन्द्रों को सही एवं पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने के लक्ष्य में SLIC द्वारा,सभी बैंकों के अनुपालन हेतु, उपर्युक्त " BC Transaction Report", प्रत्येक माह DBT CELL को भेजने का निर्णय लिया गया था, परंतू यह रिपोर्ट बैंकों द्वारा समय से नही भेजा जा रहा है | इसीलिए, SLBC द्वारा यह प्रस्ताव रखा जा रहा है की यह REPORT सभी बैंकों के द्वारा SLBC WEBSITE के माध्यम से , प्रतिमाह ON-LINE जमा किया जाय |
2. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार एवं DBT CELL द्वारा, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत स्थापित सभी LAST MILE DELIVERY CHANNELS (बैंक-मित्र) की सशक्तिकरण हेतु एक कार्य-योजना (ACTION PLAN) का प्रारूप तैयार किया गया है | इस कार्य-योजना को सभी सदस्य बैंकों के बिच E-MAIL द्वारा प्रेषित किया गया है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वें, इस कार्य-योजना को अपनी-अपनी बैंकों में लागु करें |
3. SSA में स्थापित Fixed Location BC/BCA को समय पर पारिश्रमिक- प्रदान , उन केन्द्रों का सफल सञ्चालन का एक मुख्य पहलु है| इस विषय पर SLIC बैठक में यह निर्णय लिया जा चूका है की,BC कमीशन के 80%, सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी,जबकि बांकी 20% CSC Agent की खाते में जायेगी|

   SLBC द्वारा, इस बैठक में यह प्रस्ताव पारित करने की अनुशंसा की जाती है की सभी बैंकों के द्वारा, उपरुक्त फार्मूला के तहत, CSC एजेंटों द्वारा नियोजित Fixed Location BC/BCA को समय पर यथायोग्य पारिश्रमिक- प्रदान करना सुनिश्चित करें|

"प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किया गया, बिभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक : 9.05.15 को राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित योजनाएं लागु की गई ,

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना.

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.

3. अटल पेन्शन योजना.

दिनांक: 30.09.15 तक इन योजनाओं में ग्राहोंकों को संलग्नित करने सभी बैंकों के उपलब्धि निम्नवर्णित है ,

PMJJBY		PMSBY		APY	
योजना में संलग्नित लाभुकों की संख्या	Auto Debit द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया गया	योजना में संलग्नित लाभुकों की संख्या	Auto Debit द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया गया	योजना में संलग्नित लाभुकों की संख्या	Auto Debit द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया गया
445702	350512	1595590	1275961	18657	17670

कार्यसूची सं	**7**
बैठक का दिनांक	**09.11.15**
बैठक सं	**53**

<u>एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबधित उपाय</u>

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दी 30 सितम्बर , 2015 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है -:

[राशि करोड़ में]

विवरण	**30.09.14**	**30.09.15**	**Y-TO-Y Growth**	**% Growth**
सकल अग्रिम	61540.98	68449.93	6908.95	11.22
सकल एन पी ए	3639.41	4253.88	614.47	16.88
सकल अग्रिम प्रतिशत में	***5.91***	***6.21***	***0.30***	

नोट : उपरोक्त राशि में रिटेन ऑफ (Written-Off) की राशि शामिल नही है।

i. **झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय अस्ति (N.P.A) , एक चिंताजनक स्थिति में पंहुच चुकी है |वर्ष-दर-वर्ष NPA में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है ,जो की सकल अग्रिम की वृद्धि की गति से तेज है | रु 4253.88 करोड़ का NPA, जो की सकल अग्रिम का 6.21% है , एक चिंताजनक आंकड़ा है एवं RBI द्वारा निर्धारित मानक से काफी ज्यादा है |**
ii. **ज्यादा NPA बैंकों की नई ऋण-संवितरण में एक प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है एवं राज्य के अंदर नई ऋण की स्वीकृति में एक शंका का वातावरण का कारण बन रही है|**
iii. **NPA एवं उससे संवंधित PROVISIONING बैंकों की CAPITAL BASE पर प्रतिकूल असर डाल रही है |**
iv. **RBI, सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या की एक कारगर निदान निकालने की आवश्यकता है , बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागीओं से इस विषय पर चर्चा एवं सुझाव का अनुरोध किया जा रहा है |**

सर्टिफिकेट केस का बैंकवार स्थिति

राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

बैंक	**30.09.14**		**30.09.15**	
	सं	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
वाणिज्यिक बैंक	105361	361.83	107463	382.69
आर आर बी	6163	13.88	6100	23.95
कुल	**111524**	**375.71**	**113563**	**406.64**

सर्टिफिकेट केस की तिमाही निपटान की स्थिति निम्नवत है

[राशि करोड़ में]

बैंक	**30.09.15**	
	संख्या	**राशि**
वाणिज्यिक बैंक	282	3.78
आर आर बी	114	1.11
कुल	396	**4.89**
	कुल 113563 **मामलों में से**	

DRT केस की स्थिति

दिनांक 30 जून , 2015तक बैंकों के डी आर टी के की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

सितम्बर 2014 की स्थिति		**सितम्बर, 2015 तिमाही में दाखिल किया गया केस**		**सितम्बर, 2015 तिमाही में निष्पादित डी आर टी के केस**		**सितम्बर, 15 की स्थिति**	
सं	**राशि**	**सं**	**राशि**	**सं**	**राशि**	**सं**	**राशि**
1653	561.83	245	27.00	41	5.58	2049	671.01

कार्यसूची सं	**8**
बैठक का दिनांक	**09.11.15**
बैठक सं	**53**

30.09.15 को सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम

9.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

दिनांक 30 सितम्बर , 2015 तक समग्र स्थिति

(राशि करोड़ में)

लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन		संवितरित		REJECTED	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8
1913	6352	5331	36.36	5140	27.12	145	914

- **वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सबसिडी प्राप्त करने की तिथि 31.05.2015 तक बढ़ा दिया गया था। इसके कारण से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान का प्राप्त कुछ आवेदनों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत किया गया है।**
- पीएमईजीपी के तहत्त आवेदनों का ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट नहीं किया है। बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर इस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए।

कार्यक्रम संख्या	**9**
बैठक की तारीख	**9.11.15**
बैठक संख्या	**53**

10. RSETI & FLC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है :

(**as of** 30.0**9**.15 **)**

झारखन्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , बिभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं **|**

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले

एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में कानारा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित**)** **1** जिला

- स्वतंत्र निदेशकों की पोस्टिंग :
  स्वतंत्र निदेशकों पदभार ग्रहण किया 25 केन्द्रों में
- <u>आरसेटी के लिए परिसर की स्थिति निम्न है</u> :
  किराए के परिसर 7 केन्द्रों में
  सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसर (अस्थायी) 18 केन्द्रों में
- भूमि आवंटन की स्थिति
  भूमि आवंटित **25** केन्द्रों में
- भूमि स्थानांतरण की स्थिति
  भूमि स्थानांतरित- 25
- एम.ओ.आर.डी. दावा प्राप्ति की स्थिति : **21**

निदेशकों का प्रशिक्षण:

निदेशकों की संख्या जिन्होंने *टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त* किया 21 निदेशक

निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी *प्रशिक्षण प्राप्त* नही किया - 4 निदेशक

उपर्युक्त आरसेटी के कामकाज स्थिति निम्न प्रकार है :

.1नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित - 24केन्द्रों में

सितम्बर,15 तिमाही के दौरान RSETI द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

AFY 14-15 का वार्षिक लक्ष्य :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संख्या - 659

Trainees की संख्या - 19720

सितम्बर,2015 तिमाही में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संख्या - 309

Trainees की संख्या - 9122

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति ,

भवन निर्माण कार्य प्रारंभ - 14

RSETI प्रशिक्षार्थीयों की बैंकों से वित्तीय संवन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2014-15 के दौरान		AFY 2015-16 के दौरान	
कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संवन्धता स्थापित	कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संवन्धता स्थापित
15978	1532	11925	1156

नोट :

51वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था की सभी इच्छुक RSETI प्रशिक्षार्थीयों को अनिवार्य रूप से,उनके सेवा क्षेत्र के बैंक शाखाओं के द्वारा CREDIT LINKAGE स्थापित की जाएगी | RSETI निदेशकों के द्वारा बैंकों की संवंधित शाखाओं में आवेदन भेजी जाएगी एवं आवेदनों की अस्वीकृति के अधिकार,केवल नियंत्रक कार्यालयों के पास ही रहेगी | परंतू उपरुक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होती है की यद्दपि इस दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, परंतू उपलब्धि आशाव्यांजक नही है,

SPC , RSETI से यह आग्रह है की वें , इस विषय की MONITORING करें एवं अगर कोई बैंक शाखाओं के द्वारा SLBC की उपरुक्त निर्णय का अनुपालन नहीं हो रहा है,तो उन शाखाओं का जिलावार व बैंकवार सूची SLBC को उपलब्ध कराएँ , ताकि संवंधित नियंत्रकों से इस मुद्दे का निष्पादन करवाया जा सके |

वित्तीय साक्षरता केंद्र का संचालन

आर.बी.आई के निर्देशानुसार , विभिन्न जिला स्तर पर संचालित सभी अग्रणी बैंकों को प्रत्येक LDM कार्यालयों में, समयबद्ध ढंग से एक वित्तीय साक्षरता केन्द्र का स्तापना करना अनिवार्य है | आर.बी.आई द्वारा यह निर्देश भी दिया गया की सभी बैंको के ग्रामीण शाखायों को आबश्यक तौर पर F.L.C Camp का आयोजन करना है| इसके अलावा बैंक दूसरों स्थानों पर भी आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता केन्द्रो की स्थापना पर विचार कर सकते हैं | वर्तमान में 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र)FLCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (**जिला स्तर पर (**	**संख्या**
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (प)एवं(पु) गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़	**10**
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर पलामू	**7**
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	**2**

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 16 केन्द्र

वनांचल ग्रामीण बैंक - 9 केन्द्र

सितम्बर,2015 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

मार्च तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	569
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	2406
कुल	2975

कार्यक्रम सं	**10**
बैठक की तारीख	**09.11.15**
बैठक संख्या	**53**

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रहे हैं। पिछली बैठक की स्थिति नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां :

SN	**उप समिति के नाम**	**उप समिति के अध्यक्ष**	**उप समिति के अन्य सदस्यों में**	**संदर्भ की शर्तें**	**पिछली बैठक की तिथि**
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / (कृषि) सचिव GOJ संयोजक – नाबार्ड	1.प्रमुख सचिव / सचिव संस्थागत वित्त 2.प्रमुख सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग। 3. सचिव, वन विभाग। 4.नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5 (संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां ,केसीसी सहित 2) नई परियोजना/स्कीम 3) ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	**07.05.15**

S N	उप समिति के नाम	उप समिति के अध्यक्ष	उप समिति के अन्य सदस्यों में	संदर्भ की शर्तें	पिछली बैठक की तिथि
			7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां		
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1). प्रमुख सचिव / सचिवसंस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 2 (भारतीय रिजर्व बैंक)विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम(3) स्थानीय निर्यात संस्था 4)उद्योग विभाग 5 (एक्जिम बैंक 6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)कृषि / हस्तकलाके निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारक	**06.07.15**
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह), GOJ संयोजक- एसबीआई	1) प्रमुख सचिव / सचिवगृह विभाग 2) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं	**07.08.15**

			3) प्रमुख सचिव / सचिवसंस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 4) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	व्यवस्था की स्थिति के बारे नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा करें 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं /करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	

4.	सीडी अनुपात और एसीपी उपसमिति-	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव / सचिवसंस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4भारतीय स्टेट बैंक (5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9 (यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	06.07.15
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	1) नवीनतम स्थिति और सरकार के पास लंबित मुद्दें / बैंक। 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार)बैंक / सरकार)	**06.07.15**
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित सभी मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य	**02.02.15**

				सरकार से प्राप्त किया।	
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव)ग्रामीण विकास(संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	**01.02.14*** दि:**03.07.15** को **RBI Empowered Com.on MSME** की बैठक बुलाया गया था
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव)शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र(	**27.03.15**
9	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव)ग्रामीण विकास(संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8)पी.एन.बी. 9)जे.जी.बी. 10) नाबार्ड	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	**10.08.15**

कार्यक्रम सं.	**11**
बैठक की तिथि	**09.11.15**
बैठक सं.	**53**

विविध कार्यसूची

1. National Urban Livelihood Mition (NULM) के SEP component तहत भेजी गई बहुत सारे आवेदन-पत्र झारखण्ड के विभिन्न बैंक शाखाओं में लम्वित है | भारत सरकार द्वारा इस पर गहरी चिंता व्यक्त कि गई है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वें अपनी शाखाओं को इन आवेदन-पत्रों के निष्पादन हेतु निर्देश दें|

   (प्रस्तावक- भारतीय रिज़र्व बैंक,रांची क्षे.का)

2. Area Based Banking Plans का प्रभावी कार्यान्वयन

   नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित Area Based Banking Plans का सफल कार्यान्वयन हेतु कृषि-उध्यमियों को वित्त पोषण के लिए, DDM नाबार्ड के द्वारा अनुशंसित लाभुकों को INVESTMENT CREDIT की स्वीकृति हेतु, नियंत्रक कार्यालयों शाखाओं को आवश्यक दिशानिर्देश दिया जाय |

   (प्रस्तावक- नाबार्ड,रांची क्षे.का)

3. Joint Liability Group के तहत वित्तपोषण में अपेक्षित गति प्रदान हेतु, शाखाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाय |

   (प्रस्तावक- नाबार्ड,रांची क्षे.का)

4. SLBC के सभी सदस्य बैंकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 15-16 में झारखण्ड राज्य में कुल 3500 WEAVERS CREDIT CARD की स्वीकृति की लक्ष्य रखा जाय |

   (प्रस्तावक- नाबार्ड,रांची क्षे.का)

5. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के 16 जिलों को LWE गतिविधियों से अत्यंत प्रभावित घोषित किया गया है एवं उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन जिलों के 5000 से ज्यादा आवादी वाले सभी गाँवों को बैंक शाखा के द्वारा आच्छादित किया जाय | SLBC के द्वारा झारखण्ड में ऐसे 104 गाँव चिन्हित किया गया एवं बिभिन्न बैंकों के बीच शाखा खोलने हेतु आवंटित किया गया | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की उनके बैंकों को आवंटित वैसे गाँवों में शीघ्र शाखा का संचालन आरंभ करें |

   (प्रस्तावक - गृह एवं वित्त मंत्रालय,भारत सरकार)

6. झारखण्ड सरकार से आग्रह है की बैंकों से वित्त-पोषित एवं HYPOTHECTED सभी व्यावसायिक वाहनों के परमिट (PERMIT) नवीकरण के समय,संवंधित बैंकों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करने को आवश्यक बनाया जाय,इससे बैंकों के ऋण खातों में रिकवरी में सहायता मिलेगी |

   (प्रस्तावक - SLBC,झारखण्ड)

7. कई जिलों के उपायुक्त कार्यलयों से , बैंकों को SARFAESI एक्ट के तहत प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने में असामान्य विलम्व हो रही है,झारखण्ड सरकार से आग्रह है की सभी जिला-प्रशासन को उपयुक्त दिशानिर्देश दिया जाय |

(प्रस्तावक - SLBC,झारखण्ड)

कार्यक्रम सं.	**12**
बैठक की तिथि	**09.11.15**
बैठक सं	**53**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...